न्यायालय ...

श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद प्रकारण संख्या 140 / 2016(59 / 2004)

निर्मला बेवा चाणनराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्तयारआम पृथ्वीराज पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. महाबीर सोनी पुत्र नामालूम निवासी नैशनल पब्लिक स्कूल दूर्गा बिहार गली नं. 3 श्रीगंगानगर
2. सुरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र नाम नामालूम निवी आदर्श शिक्षा सदन स्कूल प्रेमनगर बलवन्तसिंह रोड, पायल सिनेमा के पास श्रीगंगानगर

— — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मोहनलाल माहर — —वादी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा — —प्रतिवादी 1 व 2

दिनांक :—11 सितम्बर, 2019

—:: निर्णय ::—

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीया वृद्ध महिला होने से स्वयं पैरवी करने में असमर्थ है। इसलिए वादीया ने अपने रिश्तेदार की पैरवी करने के लए मुखत्यारआम दिया हुआ है। चक 1 छोटी के मु.नं. 66, 75, 76 के 5.055 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.844 हैक्टयर हिस्सा में से निस्फ हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी वादीया एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। वादीया साधिकार बतौर खोदार काबिज काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा समाज के गरीब काश्तकारों एवं वृद्ध तथा महिलाओं की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के आशय से एक गिरोह बना रखा है। जबरन कब्जा करते रहते हैं। वाद अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादाधीन भूमि चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 66, 75, 76 की 5.055 हैक्टयर भूमि में से 0.844 हैक्टयर हिस्सा मुं से निस्फ हिस्सा पर वादीया के कब्जा कशत में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने अथवा कब्जा में किसी भी प्रकार से मदालखत करने अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति से करवाने से बाज व ममनू रहने की डिक्री जारी की जावे। उक्त वाद के प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 17.05.2004 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके कथनानुसार वादीया का उक्त विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। भूमि इकरारनामा के आधार पर आगे से आगे बेचान होती रही है। वर्तमान में आबादी बसी हुई है। भींयाराम ने अपने जीवनकाल में ही भूमि का विक्रय कर दिया था। विवादित भूमि शहरी सीमा में नगरपरिषद क्षेत्र मे आ चुकी है तथा आबादी बन चुकी है। इकरारनामाजात से विक्रय होने के कारण व इकरारनामाजात को सिविल कोर्ट से आज तक मन्सुख ना करवाए जाने के कारण दावा काबिल समायत अदालतवाला नहीं है। अतः वादीया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कतई अधिकारी नहीं है और ना ही कोई वाद कारण हासिल है। अतः दावा वादीया मय खर्चा खारिज किया जावे। दिनांक 17.05.2004 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10–11 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 07.08.2006 को निरस्त करते हुए पत्रावली तनकीयात कायमी हेतु रखी गई। दिनांक 17.10.2006 को निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादगत आराजी की वादीया खोदारी होने तथा कब्जा होने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

   –वादीया

2. आया भीयाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 03.07.1982 को वादग्रस्त आराजी का इकरारनामा निष्पादित कर कब्जा हरीचन्द को सोंप दिया होने से वाद संधारण योग्य नहीं है?

   –प्रतिवादी

3. आया वादग्रस्त आराजी आबादी क्षेत्र में आ जाने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हो जाता तब तक रेवेन्यू न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है?

   –प्रतिवादीगण

4. आया ईकरारनामा दिनांक 03.07.1982 को जब तक सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हो जाता तब तक द रेवेन्यू न्यायालय का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है?

   –प्रतिवादी

5. आया दावा अंदर मियाद नहीं है?

6. अन्य अनुतोष

उक्त तनकीयात कायमी के पश्चात् वादीया की ओर से शपथ पत्र पृथ्वीराज मुख्तयारेआम का प्रस्तुत हुअ। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 30.05.2012 को महाबीर सोनी पुत्र रामरख की ओर

अधिकारी (राजस्व)

से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जसमें उन्होंने तनकीयात संख्या 3 व 4 कानूनी तनकीयात होने के कारण इस पर बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 17.05.2004 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10–11 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2006 को इस विनाय पर खारिज कर दिया गया कि दावा चलने योग्य है अथवा नहीं। यह तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर समस्त बिन्दुओं पर तनकी पर निर्णय दिया जाना कानूनन उचित होगा। अब इस प्रकरण में तनकीयात कायम करने व साक्ष्य होने के पश्चात तनकीयात संख्या 3–4 पर निर्णय करने हेतु बहस सुनने हेतु प्रकरण रखा गया। दोनों पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगण की बहस सुनने के पश्चात् प्रकरण का दिनांक 28.05.2013 को निर्णय (उक्त तनकीयात संख्या 3–4 में विवादास्पद भूमि आबादी भूमि में आने एवं इकरारनामा सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं होने से वाद क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता है) किया जाकर प्रकरण खारिज किया गया।

प्रकरण दिनांक 14.03.2016 को राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05.02.2016 से इस न्यायालय का ओदश दिनाांक 08.05.2013 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ कि तनकीयात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेने के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करे। साक्ष्य वादी में वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् दिनांक 26.09.2016 को वादी पक्ष की ओर से गवाह पृथ्वीराज का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 13.12.2017 को जिरह लेखबद्ध कर बयान पूर्ण किय गये। साक्ष्य वादी में और गवाह प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त साक्ष्य पेश नहीं की गई जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 04.02.2019 को बंद की गई। दिनांक 06.02.2019 को वकील प्रतिवादी द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर करने पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दिनांक 04.02.2019 को प्रतिवादी की साक्ष्य बंद किये गये आदेश को निरस्त किया जाकर प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर जिरह लेखबद्ध करने के पश्चात् बयान पूर्ण किये गये।

वादीगण की ओर से गवाह पी.ड.–1 पृथ्वीराज पुत्र श्री मंगलाराम, पी.ड.–2 निर्मला पत्नी स्व. श्री चाननराम के बयान करवाए गये तथा दस्तावेज प्रदर्श–1, प्रदर्श करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह महावीर सोनी के बयान करवाये गये तथा इकरारनामें की फोटो प्रतियों को प्रदर्श डी 1 ता 5 एवं पंचायत द्वारा लिखित फोटो प्रति को प्रदर्श 6 प्रदर्श करवाया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोट :– वकील वादी द्वारा प्रदर्श 1 से 5 इकरारनामे पूर्णतया स्टाम्प शुल्क पर नहीं होने से ऐतराज किया गया। वकील वादी के ऐतराज बाबत बहस पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायिक दृष्टान्त [2017 RBJ 228] एवं वकील प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त 2009(1) RRT 369 एवम् 2018(2) RRT 1405 की प्रतियां पेश की। जिनका सहसम्मान अवलोकन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन कर विरचित किये गये विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

विवाद्यक संख्या 1

विवाद्यक संख्या 1 के सम्बन्ध में साक्ष्य वादी में वादी द्वारा कथन किया गया कि पानी की पर्ची भींया राम के नाम से थी और भीयाराम की मृत्यु हुए करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। विवादास्पद भूमि में पहले काश्त होती थी परन्तु अब लगभग 15–16 वर्ष से काश्त नहीं हो रही है एवं जमाबंदी प्रदर्श–1 में कृषि भूमि मुश्तर्का खाते में है और किला नम्बर 21 पर एस.एच.ओ. रिसीवर नियुक्त है। गवाह पी.ड.1 व पी.ड.–2 इकरारनामा दिनांक 03.07.1982, 25.10.1982, 24.10.2002, 18.12.2002, 31.03.2004 के विरूद्ध कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त भूमि किला नम्बर 21 में 4¼ बिस्वा पर वादीया का अधिकार एवं कब्जा हो। विवाद्यक संख्या 1 को वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 प्रतिवादी के पक्ष में जाता हैं।

विवाद्यक संख्या 2, 3, 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। चारों विवाद्यक परस्पर साक्ष्य से सम्बद्ध होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए इन विवाद्यकों पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

विवाद्यक संख्या 2, 3, 4 व 5

विवाद्यक संख्या 2, 3, 4 व 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि भीयांराम पुत्र हरीराम के नाम से चक 1 ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर के मु.नं. 76 के किलानम्बर 21 में साढ़े 4 बिस्वा भूमि दक्षिण पश्चिम की तरफ से थी। भीयांराम द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 03.07.1982 के हरीचंद पुत्र देवीलाल को, इकरारनामा दिनांक 25.10.1982 के जरिए हरीचंद ने उक्त भूमि श्यामसुन्दर पुत्र द्वारकादास को, इकरारनामा दिनांक 24.410.2002 के जरिए श्यामसुन्दर ने कानाराम पुत्र श्रीराम को, इकरारनामा दिनांक 18.12.2002 को कोनाराम ने तेजभान पुत्र पृथ्वीराज को, इकरारनामा दिनांक 31.03.2004 को तेजभान ने मुझे (महावीर सोनी) को बेचान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

कर दी। जिस पर प्रतिवादी काबिज रहा। बाद में विवाद होने पर उपरोक्त भूखण्ड पर रिसीवर नियुक्त किया गया तथा कब्जा अब भी रिसीवर के पास है। निर्मलादेवी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। उक्त भूमि मं प्लॉट कटे हुए हैं तथा सन 1982 पश्चात् उक्त भूमि पर कभी भी कश्त नहीं हुई। इकरारनामे प्रदर्श डी 1 से 6 है। विवाद्यक संख्या 2, 3, 4 व 5 को वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 2, 3, 4 व 5 प्रतिवादी के पक्ष में जाता हैं।

अनुतोष

तक विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी द्वारा अपने अपने अभिमत प्रकट किये गये। अधिवक्ता वादी का तर्क है कि वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से विवाद्यक संख्या 1 साबित हैं। साक्ष्य पर सविवेक विचार करने पर पाया कि वादी अपनी साक्ष्य में यह सिद्ध नहीं कर पाया कि वादाधीन भूमि पर वादी का कब्जा है और वह उक्त भूमि पर स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी हो। अतः वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं। दूसरी तरफ वादाधीन भूमि जरिए विभिन्न इकरारनामा के समय समय पर बेचान की गई एवं भूमि पर एक के पश्चात् एक क्रेता का कब्जा भी रहा। उक्त इकरारनामा को वादी द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया। अतः अनुतोष प्रतिवादी के पक्ष में जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवाद्यक के निर्णय एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि भूमि विभिन्न इकरारनामा के द्वारा विक्रय व क्रय की गई। पत्रावली में संलग्न दोनों पक्षों के बीच पंचायत का फैसला दिनांक 09.05.2004 की फोटो प्रति से भी प्लाट 41 गुणा 150 फूट चक 1 ए छोटी के मु.नं. 76 के किला नं. 21 का कागजों के हिसाब से पंचायत द्वारा महावीर प्रसाद का होना साबित किया गया है। विवाद्यक संख्या 3 व 4 के अनुसार विवादास्पद भूमि आबादी भूमि में आने एवं इकरारनामा सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं होने से वाद क्षेत्राधिकार का नहीं होने वे वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)